उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या-मु0म0 39/84-2-2010-सी0 29/96
लखनऊ : दिनांक : 07 जनवरी, 2011

अधिसूचना

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (अधिनियम संख्या-68, सन् 1986) की धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली,1987 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 2011 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, 1987 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, के नियम 3 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

	स्तम्भ- 1 विद्यमान उपनियम		स्तम्भ- 2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(क)	जिला फोरम का प्रधान, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो प्रतिदिन 200 रूपये का मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 5560 रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 150 रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।	(क)	जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो जिला न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाये तो प्रतिदिन 400/- रूपये का मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 10176/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 300/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।
(ख)	जिला फोरम का प्रधान, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो तो प्रतिमास 800 रूपये मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।	(ख)	जिला फोरम का अध्यक्ष, यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो तो प्रतिमास 2400/- रूपये मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।

(ग)	जिला फोरम के सदस्य को यदि सरकारी आवास न दिया गया हो तो प्रतिमास 600 रूपये मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।	(ग)	जिला फोरम का सदस्य यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय और उसे सरकारी आवास न दिया गया हो तो प्रतिमास 1800/- रूपये मकान किराया भत्ता प्राप्त करेगा।

नियम 6 का संशोधन

3- उक्त नियमावली में, नियम 6 में उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (क) एवं (ग) के स्थान पर स्तम्भ - 2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :-

स्तम्भ- 1			स्तम्भ- 2
विद्यमान उपखण्ड			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपखण्ड
(क)	राज्य आयोग का प्रधान यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो बैठक के लिए प्रतिदिन 250 रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 8340 रूपये का समेकित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 200 रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।	(क)	राज्य आयोग का अध्यक्ष यदि पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, या यदि अंशकालिक आधार पर नियुक्त किया जाय तो बैठक के लिए प्रतिदिन 500/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेगा। अन्य सदस्य यदि वे पूर्णकालिक आधार पर आसीन हैं तो प्रतिमास 15262/- रूपये का समेकित मानदेय और यदि अंशकालिक आधार पर आसीन हैं तो बैठक के लिए प्रतिदिन 400/- रूपये का समेकित मानदेय प्राप्त करेंगे।
(ग)	राज्य आयोग के सदस्य किराया मुक्त आवास के हकदार होंगे। यदि ऐसा कोई आवास राज्य आयोग के सदस्य को न दिया जाय तो वे प्रतिमास 1500 रूपये का मकान किराया भत्ता प्राप्त करेंगें।	(ग)	राज्य आयोग का सदस्य किराया मुक्त आवास के हकदार होंगे। यदि ऐसा कोई आवास राज्य आयोग के सदस्य को न दिया जाय तो वह प्रतिमास 3000/- रूपये का मकान किराया भत्ता प्राप्त करेंगें।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- मु0म0 39(1)/84-4-2010-सीपी 29/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - उक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड-ख में दिनांक ०7 जनवरी, 2011 को प्रकाशित करने का कष्ट करें और इस अधिसूचना की गजट में प्रकाशित 1500 (एक हजार पाँच सौ) प्रतियां अनुभाग अधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश सचिवालय, कक्ष संख्या- 95, नवीन भवन, लखनऊ को अविलम्ब भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(चन्द्र प्रकाश)
विशेष सचिव

पृष्ठांकन संख्या- मु0म0 39(2)/84-4-2010-सीपी 29/96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) सचिव, उपभोक्ता मामले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय, (उपभोक्ता मामले विभाग) कृषि भवन, नई दिल्ली।
(3) मा0 अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(4) प्रमुख सचिव, न्याय विभाग एवं विधि परामर्शी, उत्तर प्रदेश शासन।
(5) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(6) निबन्धक, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जनपथ भवन, नई दिल्ली।
(7) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(8) निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।
(9) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ ।
(10) समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(11) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया वह इस आदेश की प्रति सामान्य/महिला सदस्य व फोरम कार्यालय को भी उपलब्ध करा दें (द्वारा निबन्धक, राज्य आयोग)।
(12) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
(13) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
(14) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(15) मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
(16) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
(17) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अमरेश चन्द्र)
अनु सचिव।